

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक
उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी- 110010

No. AN/X/10050/10-2015/TR - 348 to 378

Dated : 22.03.2016

To,

सभी संबंधित र.ले.प्र.नि./प्र.ए.वि.स/ प्र.ले.नि.(फै.)/र.ले.नि/वित्त एवं ले.नि. (फै.)

Subject : स्थानांतरण स्थापना ; रक्षा लेखा विभाग- Transfer Estt : DAD- SAs/Auditors/Clerks

अनुलग्नक 'अ' में सूचीबद्ध 31 (इकित्तस) व.ले.प/ले.प/लिपिक के स्थानांतरण को सक्षम प्राधिकारी द्वारा DAPB की संस्तुति के बाद अनुमोदित कर दिया गया है।

31 (Thirty One only) SAs/Auditors/Clerks as listed in the enclosed Annexure 'A', serving in the organisation have been approved by the competent authority for transfer as per recommendation of the DAPB.

2. कृपया उक्त कार्मिकों को अपने संगठन से तैनाती के नए कार्यालय/स्थान पर रिपोर्ट करने के निदेश हेतु तत्काल कार्यमुक्त किया जाए बशर्ते आपके ध्यान में उनके विरुद्ध कुछ प्रतिकूल न हो तथा साथ ही कार्यालय आदेश भाग II प्रकाशित किया जाए और उसकी प्रति मुख्यालय कार्यालय को प्रेषित की जाए। जो कार्मिक हार्ड/कार्यकाल स्टेशन पर कार्यरत है उन्हें निर्धारित कार्यकाल अथवा प्रत्यक्ष बास, जो भी बाद में हो, के पूर्ण होने के बाद कार्यमुक्त कर दिया जाए।


They may please be relieved of their duties in your organisation immediately with directions to report to the new office/place of posting provided nothing adverse against them has come to your notice and the Part II Office Order may be published simultaneously and copy forwarded to HQrs. Those who are serving at hard/tenure stations may be relieved after completion of prescribed tenure or physical stay whichever is later.

3. सभी बाह्य स्टेशन स्थानांतरण 'सरकारी खर्चे' पर हैं अतः नियमानुसार यात्रा भत्ता/ कार्यग्रहण अवधि प्राधिकृत है।
All outstation transfers are on 'State Expense' hence TA/Joining time as admissible under rules is authorized.

4. यदि कार्मिक की तैनाती के कार्यालय का उल्लेख नहीं किया गया है, तो कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सूचना संबंधित नियंत्रक से प्राप्त कर ली जाए।
Where office of posting of an individual has not been indicated, the same may be obtained from the concerned Controller before relieving the individual.

5. यदि कोई कार्मिक एस.ए.एस भाग 2 की परीक्षा पास कर पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं तो उन्हें कार्यमुक्त करने से पूर्व मुख्यालय कार्यालय से सहमति ली जाए।
In case any individual is awaiting his promotion on passing of SAS Part II Exam, he may not be relieved of his duties without prior concurrence of this HQrs office.


6. कृपया डाक प्रति की प्रतीक्षा न की जाए।
Copy by post may kindly not be awaited.


(संदीप लखनपाल) 22-3-2016
व. लेखा अधिकारी (प्रशा)

प्रतिलिपि सेवा में,

1. ई.डी.पी. केन्द्र(स्थानीय)

: कृपया कार्यालय की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(विवेक विकास)
सहा. लेखा अधिकारी (प्रशा)

